मध्य प्रदेश आदिम जनजाति (वृक्षों में हित) संरक्षण नियम, 1987

क्र० एफ०- 3-41 पच्चीस-6-87 दिनांक 1 अगस्त, 1987 --मध्यप्रदेश प्रोटेक्शन आफ एबारीजनल ट्राइव्ज (इण्टरेस्ट इन ट्रीज एकट, 1956 (क्रमांक 11 सन् 1956) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निन्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा विस्तार** -(1) नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आदिम जनजाति (वृक्षों में हित) संरक्षण नियम, 1987 है ।

(2) ये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं** इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(एक) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ एवारीजनल ट्राईब्ज (इण्टरेस्ट इन ट्रीज़) एक्ट, 1956 (क्रमांक 11 सन् 1956);

(दो) "भूमिस्वामी" का वही अर्थ होगा जो मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में उस अभिव्यक्ति के लिए समनुदेशित किया गया है ।

3. आदिम जनजाति का कोई ऐसा भू-धारी, जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसके खेत पर खड़े विनिर्दिष्ट वृक्षों को काटने तथा विक्रय करने का आशय रखता है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप में कलेक्टर को आवेदन करेगा 1

4. कलेक्टर इस प्रकार प्राप्त किये गये आवेदन को उसकी प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर तहसीलदार को भूमि के सीमांकन के लिए भेजेगा और तहसीलदार वह आवेदन अनुपालन के पश्चात एक सप्ताह के भीतर कलेक्टर को वापस कर देगा ।

5. तहसीलदार से आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर उसे एक सप्ताह के भीतर बन मंडला-धिकारी को इस निमित्त अग्रेषित करेगा कि वह उन वृक्षों की जिनकों गिराये जाने हेतु आवेदन किया गया है, सामान्य मूल्यांकन करें तथा वानिकी सिद्धान्तों के आधार पर उनकी गिराये जाने के संबंध में अपनी राय दें ।

6. वन मण्डलाधिकारी अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारी से, जो सहायक रेंजर की पद श्रेणी में निम्न पद श्रेणी का न हो, उपयुक्तानुसार सामान्य मूल्यांकन तथा राय अभिप्राप्त करने के पश्चात नब्बे दिन की कालावधि के भीतर उस (आवेदन को) अपनी टीप के साथ कलेक्टर को अग्रेषित करेगा

|

7. (क) कलेक्टर वन मंडलाधिकारी की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए वन मंडला-धिकारी को समस्त या किसी भी संख्या में वृक्षों को काटने, उनका परिवहन करने या उनका विक्रय करने की अनुज्ञा 15 दिन के भीतर देगा ।

(ख) यदि वन मंडलाधिकारी अपनी सिफारिश तथा मूल्यांकन के ब्यौरे भेजने में असफल रहता है तो कलेक्टर स्वप्रेरणा से अनुज्ञा जारी करने के लिए सक्षम होगा ।

8. (क) कलेक्टर से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् वन मंडलाधिकारी को विनिर्दिष्ट वृक्षों की कटाई तथा परिवहन का कार्य 6 मास की कालावधि के भीतर पूरा करना होगा और कटाई तथा परिवहन का व्यय वन विभाग द्वारा वहन किया जायेगा । उपर्युक्त कालावधि की गणना के लिए जुलाई से नवम्बर तक को मानसून कालावधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(ख) कलेक्टर को अनुज्ञा कलेण्डर वर्ष के समाप्त होने पर व्यपगत नहीं होगी ।
(ग) काटे गये वृक्षों से अभिप्राप्त इमारती लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी के स्कन्ध तैयार किये जायेंगे और उनकी सूची तीन प्रतियों में तैयार की जाएगी जिस पर वन विभाग के संबन्धित रेंज अधिकारी तथा भू-धारक के हस्ताक्षर होंगे ।
(घ) कटाई संक्रियाओं के पूर्ण होने के एक सप्ताह के भीतर उस सूची की एक प्रति, जो नियम 8 (ग) के अधीन तैयार की गई हो, वन मंडलाधिकारी को अग्रेषित की जाएगी तथा उसकी एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराई जायेगी ।

9. नियम 8 (ग) के अधीन सूची प्राप्त होने पर वन मंडलाधिकारी स्थल पर संपूर्ण लकड़ी का वास्तविक मूल्य विनिश्चित करेगा । राष्ट्रीयकृत प्रजातियों का मूल्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित दरों पर और अन्य प्रजातियों का मूल्य संभागीय समिति द्वारा यथा अनुमोदित दरों पर अवधारित किया जाएगा उस दशा में जबकि उपर्युक्त दरों का अवधारण किये जाने में विलम्ब हो, मूल्य ऐसी दरों पर अवधारित किया जाएगा जो ऐसे अवधारण के अव्यवहित पूर्व अवधारित की गई हों और तत्पश्चात् संबन्धित व्यक्ति को अन्तर की रकम का भुगतान किया जाएगा ।

10.नियम 5 के अधीन किये गये मूल्यांकन की संपूर्ण रकम वन मंडलाधिकारी द्वारा बैंक में आवेदक तथा कलेक्टर के संयुक्त खाते में जमा कर दी जाएगी और अन्तर की रकम, यदि कोई हो, तो वह भी उक्त खाते में ही जमा की जाएगी ।

11. यदि इस प्रकार काटी गई लकड़ी नियत कालावधि के भीतर आवेदक के खेत (फील्ड) से हटायी नहीं जाती है जिसके कारण आवेदक को कृषि संक्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है तो उस दशा में संबंधित वन मंडलाधिकारी उस लकड़ी को खेत में किसी एक ही स्थान पर या खेत से बाहर किसी अन्य स्थान पर एकत्र करेगा ताकि आवेदक को कृषि संक्रियाओं में कोई बाधा उत्पन्न न हो 1

अनुसूची-एक
कुल वृक्षों की सूची

खसरा क... .... ग्राम..... ... ... 'पटवारी हल्का क्र०

अनुक्रमांक	प्रजाति का नाम	वृक्ष छाती की ऊंचाई पर बृक्ष का घेर	अनुमानित ऊंचाई	वृक्षकी क्वालिटी ऊंचाई इरमारती जलाऊ लकड़ी	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6

साक्षीगण -
1.....
2.....

भूमिस्वामी (आवेदक) के हस्ताक्षर/अंगूठे का
निशान तथा पता